भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4907
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्यपालन

4907. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री नव चरण माझी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है और फरवरी, 2025 तक राज्यवार विशेषकर उत्तराखंड और ओडिशा में कितनी राशि खर्च की गई है;
(ख) फरवरी, 2025 तक उक्त योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं का राज्यवार, विशेषकर उत्तराखंड और ओडिशा के संदर्भ में वित्तीय मूल्य कितना है;
(ग) फरवरी, 2025 तक इस योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर उत्तराखंड और ओडिशा में अंतर्देशीय मत्स्यपालन के लिए क्या-क्या उपकरण और सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और
(घ) क्या मंत्रालय ने जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित किया जा रहा है। व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंशदान के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इसमें उत्तराखंड सरकार के लिए 322.97 करोड़ रुपए और ओडिशा के लिए 1138.68 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शामिल हैं । जलकृषि क्षेत्र के विस्तार, गहनता (इंटेन्सिफीकेशन), विभिन्न मत्स्य प्रजातियों के पालन (डायवर्सिफिकेशन), भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग, गुणवत्ता वाले इनपुट, टेक्नोलॉजी का समावेश, पोस्ट हारवेस्ट प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण द्वारा जलकृषि का विकास, पीएमएमएसवाई के तहत सहायता प्रदत्त प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जलकृषि के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं/गतिविधियों में 32051 हेक्टेयर जलकृषि क्षेत्र, 895 हैचरी, 25 ब्रूड बैंक, 12081 री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, 4205 बायोफ्लोक यूनिट्स, 55118 जलाशय केज और 5711 रेसवे और जलाशयों में 560.7 हेक्टेयर पेन, 3882 हेक्टेयर मीठे पानी के बायोफ्लोक तालाब क्षेत्र आदि शामिल है । विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं और जारी केन्द्रीय फंड का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

पीएमएमएसवाई में अन्य बातों के साथ-साथ जलीय जीव स्वास्थ्य प्रबंधन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि विशेष रूप से जलकृषि में नए और ट्रान्स बाउंड्री जलीय रोगों के उद्भव को रोका जा सके और विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 49.50 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक्वेटिक हेल्थ मेनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है, जिसमें इस योजना के तहत ओडिशा के लिए स्वीकृत 2.40 करोड़ रुपए की एक्वेटिक हेल्थ मेनेजमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत एक्वेटिक हेल्थ मेनेजमेंट प्रोजेक्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-।। में दिया गया है।

*****

अनुबंध - I

योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्यपालन के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 के उत्तर में उल्लिखित विवरण,: वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी केंद्रीय निधि का राज्यवार समेकित विवरण।

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	जारी की गई निधियाँ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	अंडमान और निकोबार	5867.10	3122.53	696.70
2	आंध्र प्रदेश	239872.67	55910.38	48211.79
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.27	9847.62
4	असम	53962.88	29682.11	20731.89
5	बिहार	54712.98	17365.23	7928.31
6	छत्तीसगढ	92338.45	30404.41	20569.40
7	दमन और दीव दादरा और नगर हवेली	13516.89	6800.65	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11616.49	4849.74	4405.68
10	गुजरात	96068.53	29277.71	6516.70
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	10151.73
12	हिमाचल प्रदेश	15388.15	7861.50	3813.69
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	7961.80
14	झारखंड	43856.06	14818.28	11570.76
15	कर्नाटक	105634.95	36350.59	35958.72
16	केरल	135811.54	57628.59	31842.33
17	लद्दाख	3374.60	2036.76	1016.99
18	लक्षद्वीप	6763.48	4458.13	1419.12
19	मध्य प्रदेश	89925.00	29449.98	19013.71
20	महाराष्ट्र	144767.36	54426.66	27877.83
21	मणिपुर	20181.70	9584.33	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.73	3596.21
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6347.38
24	नगालैंड	16368.38	10543.52	6709.46
25	ओडिशा	113867.60	46425.75	25983.27
26	पुदुचेरी	33866.46	22996.05	5713.91
27	पंजाब	16792.95	4514.79	2476.27
28	राजस्थान	7095.14	2372.65	864.12
29	सिक्किम	7827.43	4681.43	3300.05
30	तमिलनाडु	115284.67	44535.55	13631.12
31	तेलंगाना	34117.09	10842.16	9582.93
32	त्रिपुरा	25862.81	14762.41	5859.84
33	उत्तर प्रदेश	129432.10	41230.99	28911.70
34	उत्तराखंड	32297.07	16667.37	8780.37
35	पश्चिम बंगाल	54439.43	22554.70	5075.97
36	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	0.00
कुल क		**1899026.06**	**729533.35**	**399654.16**
35	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	200052.82	163095.20	67426.90
कुल क + ख		**2099078.88**	**892628.55**	**467081.07**

अनुबंध- II

योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्यपालन के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

तालिका- (क): डिजीज़ डायग्नोस्टिक और क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स की स्थापना

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत का सरकार अंश
1	आंध्र प्रदेश	2	50.00	15.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1	25.00	13.50
3	असम	1	25.00	9.00
4	दिल्ली	1	25.00	15.00
5	गुजरात	1	40.00	9.60
5	झारखंड	2	60.00	21.60
6	लद्दाख	1	30.00	30.00
7	मध्य प्रदेश	2	50.00	12.00
8	महाराष्ट्र	1	25.00	6.00
9	मिजोरम	1	25.00	13.50
10	ओडिशा	4	100.00	30.00
11	तमिलनाडु	1	40.00	9.60
12	पश्चिम बंगाल	1	25.00	9.00
कुल		**19**	**520.00**	**193.80**

तालिका- (ख) : डिजीज़ डायग्नोस्टिक और क्वालिटी टेस्टिंग मोबाइल लैब/क्लीनिक

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश
1	आंध्र प्रदेश	8	280.00	79.80
2	केरल	1	35.00	8.40
3	महाराष्ट्र	1	35.00	8.40
4	मणिपुर	5	175.00	81.90
5	ओडिशा	4	140.00	42.00
6	पंजाब	1	35.00	8.40
7	उत्तर प्रदेश	9	315.00	96.60
8	पश्चिम बंगाल	2	70.00	25.20
कुल		**31**	**1085.00**	**350.70**

तालिका- (ग) : क्वालिटी टेस्टिंग और डिजीस डायग्नोस्टिक के लिए एक्वेटिक रेफरल लैब्स

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश
1	बिहार	2	1000.00	600.00
2	गुजरात	1	140.99	84.43
3	केरल	1	975.00	585.00
4	मेघालय	1	282.68	254.41
5	पश्चिम बंगाल	1	946.00	567.60
कुल		**6**	**3344.67**	**2091.44**

*****